यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़** के माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **24.03.2017** से **27.03.2017** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथमलेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील बेरीनाग, पिथौरागढ़**

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	0	0	0	0	12593000	11033726		1559274
2013-14	0	0	0	0	13958000	12584161	0	1373839
2014-15	0	0	0	0	18279000	17227957	0	1051043
2015-16	0	0	0	0	19994000	15721112	0	4272888
2016-17 (02/2017 तक)	0	0	0	0	22660000	15717337	0	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निरंकः

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निरंकः

(iii) इकाई को बजट आवंटन **<u>राज्य सरकार</u>** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**<u>सी</u>**' की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13, 14 व 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 6800 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़ के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री हेमन्त कुमार वर्मा	उपजिलाधिकारी	02/2014	06/2015	17*400=₹ 6800

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक है

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि ₹ 55.22 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 55.22 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2012-13 तक	01.77
2013-14 तक	05.86
2014-15 तक	01.78
2015-16 तक	31.00
2016-17 तक	**55.22**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर0सी0 की धनराशि वसूलियाँ अधिक समय से लम्बित है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 ₹ 722.84 लाख के बजट व्यय के लिए रोकड़बही न बनाया जाना।

Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983 के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) के वेतन भत्तों, 11-सी पंजिका तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 02/2017 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	**-**	**-**	12593000	11033726
2013-14	**-**	**-**	13958000	12584161
2014-15	**-**	**-**	18279000	17227957
2015-16	**-**	**-**	19994000	15721112
2016-17 (02/2017 तक)	**-**	**-**	22660000	15717337
योग				72284293

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) कुल ₹**72284293** के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कैशबुक का रखरखाव कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-4 ₹ 27.17 लाख के वितरण में प्रक्रिया का पालन नही करना।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए तैयार किये गये तत्सम्बन्धित पी-20 में भवन की फोटोग्राफ अवश्य रुप से लगी होनी चाहिए तथा पंजिका में प्राप्तकर्ता के व कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संबन्धित पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए धनराशि वितरण के पूर्व संबन्धित पी-20 के साथ भवन के फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये हैं।

विवरण निम्न है-

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	**मद (गृह निर्माण)**	**वितरित की गयी धनराशि (₹ लाख में)**
2016-17	15	पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	27.17

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया कि संबन्धित फोटोग्राफ जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी-20 तहसील से संबन्धित अभिलेख होते हैं, इनका रखरखाव तहसील में ही होना चाहिए।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **<u>उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़</u>** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः <u>शून्य</u>**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का	उपजिलाधिकारी	16.11.2010	06.06.2012
2.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	08.06.2012	06.11.2012
3.	श्री जयभारत सिंह	उपजिलाधिकारी	07.11.2012	07.10.2013
4.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	07.10.2013	20.02.2014
5.	श्री हेमन्त कुमार वर्मा	उपजिलाधिकारी	21.02.2014	12.07.2015
6.	श्री प्रमोद कुमार	उपजिलाधिकारी	15.08.2015	12.01.2016
7.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	13.01.2016	07.07.2016
8.	श्री वैभव गुप्ता	उपजिलाधिकारी	08.07.2016	08.01.2017
9.	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	09.01.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र